प्रपत्र-1.10

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बड़ावे-धारी-बेल्ताड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 4.625 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुये एक विस्तृत आख्या।

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार बसावट थौलकाण्डा की आवादी ३३० अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्ब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि ०.०० है०, नाप भूमि ०.८६५५ है०, सिविल सोयम भूमि ३.२६७ है० एवं मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलवा निस्तारंण स्थल हेतु वन पंचायत भूमि ०.०० है०, सिविल सोयम भूमि ०.६०० है० प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु २ समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० २ को निरस्त कर समरेखण नं० १ को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० १ को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः ४.६२५ कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार सिविल सोयम भूमि ९ मीटर, चौड़ाई एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु ३.८६७ है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समंरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़	अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

Scanned by CamScanner